56

20रु. COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY
5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक — /2017 निगरानी
PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/4413

हीरालाल पिता मांगीलाल निवासी ग्राम काचरिया चन्द्रावत, तहसील मल्हारगढ़ जिला नीमच म.प्र.

— — आवेदक

विरूद्ध

शंकरलाल पिता काशीराम निवासी ग्राम काचरिया चन्द्रावत, तहसील मल्हारगढ़ जिला नीमच म.प्र.

— — अनावेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 28-9-17
अधीक्षक 28.9.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के प्र. क्र. 7/अ—13/15—16 में पारित आदेश दिनांक 10—08 2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/4413

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, मल्हारगढ़ के आदेश दिनांक 10-8-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकरण में उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया जाकर अनावेदक की ओर से प्रस्तुत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र का निराकरण किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में साक्ष्य के स्तर पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी एवं प्रकरण के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	